न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 27/2021 बउनवानी काशी सिंह राजपूत बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/68

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 2.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:—

1. प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में हाजिर होकर दिनांक 25.11.2019 को प्रस्तुत किया मय कोर्ट फीस के विन्रम निवेदन पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी दिलाने की कृपा करें।
2. कमांक रीडर/सतर्कता/14/252 दिनांक 26.2.2014 को प्रसंग पत्रांक/सतर्कता/13/350 दिनांक 27.5.2013 जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर को प्रेषित रिपोर्ट में ख0न0 254 रकबा 0.18 है0 काश्तकार विश्राम पुत्र जयराम माली की खातेदारी बताई है। जिसके नाम की हाल या पूर्व की जमाबन्दी की सत्यप्रति दिलाने एवं पटवारी द्वारा पूर्व कृषि भूमि मे बाडे किस रिकार्ड से अंकित जॉच रिपोर्ट. मे किये गिरदावरी रिपोर्ट अनुसार सत्य जानकारी दिलाने की कृपा करें
3. कमांक एसआर—1 दिनांक 3.7.2015 श्रीमान नायब तहसीलदार जी तलावडा तहसीलदार जी को एक प्रार्थी की शिकायत पर जॉच रिपोर्ट मे खातेदारी नं0 259 में हेण्डपम्प लगा हुआ स्वीकारा है । वह खातेदारी मे किस नियम से लगा हुआ है उस नियम या गाईड लाईन की जानकारी दिलाने की कृपा करें। गैर नियम का है तो उस पर की गय कार्यवाही की जानकारी की कृपा करे।
4. खातेदारी में काश्तकारी अधिनियम की धारा 1956 आबादी का नियम की छायाप्रति दिलावे। नियम में सक्षम अधिकारी आज्ञा बिना कृषि भूमि में आबादी उपयोग वर्जित है। जिसपर नियम में गलत रूप से आबाद होने पर की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी नियम की छायाप्रति सहित दिलाने की कृपा करे। एवं की गयी या की जा रही कार्यवाही की जानकारी दिलाने की कृपा करें
5. जॉच करने का आधार की जानकारी की कृपा करे कि प्रार्थी द्वारा अंकित सम्वत् 2008 लगायत 2017 तक का रिकार्ड में दर्ज की वस्तुस्थिति जॉचकर्ता द्वारा जॉच में अंकित क्यो नही की जो जॉचकर्ता के कार्यालय में संघारित रिकार्ड में मौजूद है। इस प्रकार का रवैया नियम का है या मिलीभगत का है की सत्य जानकारी दिलाने की अतिकृपा करे।
6. कृषि भूमि पर माननीय न्यायालय मे विवाद पर श्रीमान तहसीलदार जी एवं नायब तहसीलदार जी को लेण्ड होल्डर के नाते पक्षकार का नियम के तहत पक्षकार कृषि भूमि को यथावत निर्णय परियन्त रखने को बनाया जाता है जो नही रखा जाता जो कारण पक्षकारो को लडाने का है। या कोई और कारण है की पूर्ण सत्य जानकारी की कृपा करे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों को सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक सू.का.अ./2021/66 दिनांक 2.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 2.3.2021 मे चाही गयी सूचना के संबंध

में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय मे दिनांक 10.3.2021 को बिना पोस्टल आर्डर के प्राप्त हुआ था जिसके संबंध मे जरिये पत्रांक सूकाअ/2021/46 दिनांक 25.3.2021 को प्रार्थी को पोस्टल आर्डर जमा कराने हेतु लिखा गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक पोस्टल आर्डर जमा नही करवाया है। परन्तु पत्रांक 66 दिनांक 2.7.2021 से बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना ग्राम पंचायत से प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। तथा बिन्दु संख्या 4,5,6 की सूचना अपूर्ण, अस्पष्ट एवं प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 2.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक सूकाअ/21/66 दिनांक 2.7.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा इसी पत्र के माध्यम से बिन्दु संख्या 3 की (हेण्डपम्प के सबंध में) सूचना ग्राम पंचायत से प्राप्त करने के लिए लिखा जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 4,5,6 पर चाही गयी सूचना अपूर्ण, अस्पष्ट, प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। चूंकि कार्यालय रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:37:55 IST
Reason: SelfAttested